राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांकः– प0 5(8)नवि/3/99 जयपुर, दिनांक 29/12/2004

आदेश

कृषि भूमि के नियमन हेतु राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नियमन शुल्क/ हस्तान्तरण शुल्क जमा कराने के संबंध में इस विभाग के पूर्व आदेश कमांक प.5(8) नविवि/99 दिनांक 30/08/2001 में आंशिक संशोधन करते हुए यह व्यवस्था की जाती है कि भू–स्वामी द्वारा नियमन शुल्क/हस्तान्तरण शुल्क की राशि दो भागों में जमा करवाई जायेगी। स्थानीय निकाय विभाग के अंश की राशि (60 प्रतिशत) स्थानीय निकाय द्वारा निर्धारित चालान/नकद प्राप्ति रसीद (जैसी भी व्यवस्था हो) के द्वारा जमा की जायेगी एवं शेष राज्य सरकार के हिस्से की राशि (40 प्रतिशत) सीधे चालान के जरिये राज्य कोष में लेखा शीर्ष 0029–भू–राजस्व–800–अन्य प्राप्तियां (07) कृषि भूमि को आबादी भूमि में बदलने की फीस (01) नगरीय विकास विभाग के माध्यम से, में जमा कराई जायेगी। राज्य कोष में राशि जमा कराने के लिये संबंधित स्थानीय निकाय द्वारा उपरोक्त लेखा शीर्ष अंकित कर चालान फार्म अपने स्तर पर मुद्रित कराया जायेगा, जिससे राशि के वर्गीकरण में त्रुटि की कोई संभावना नहीं रहे एवं चालान को बिना कोष कार्यालय से पारित करवाये सीधे राशि अधिकृत बैंक शाखा में जमा कराई जा सके।

संबंधित स्थानीय निकाय के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं निकाय में पदस्थापित लेखा सेवा/अधिनस्थ लेखा सेवा के अधिकारियों का यह उत्तरदायित्व होगा कि वे राज्य हिस्से की राशि (40 प्रतिशत) सीधे राज्य कोष में जमा कराये जाने के लिये निर्धारित की गई उपरोक्त प्रकिया की पालना कराया जाना सुनिश्चित करेंगें।

यह आदेश वित्त विभाग की सहमति अ.शा.टीप. एफ.4(94)वित्त.1(1) /आव्य/03 दिनांक 29.12.2004 से किया जाता है।

आज्ञा से,

(सी0एस0बेनीवाल)
उप शासन सचिव

प्रतिलिपि– निम्न लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री, नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, जयपुर।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय शासन विभाग, जयपुर।
6. निजी सचिव, शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
7. शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
8. आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
9. समस्त संभागीय आयुक्त।
10. समस्त जिला कलक्टर।
11. सचिव, नगर विकास न्यास समस्त, राजस्थान।
12. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग को कृपया समस्त स्थानीय निकायों को आवश्यक निर्देश जारी करने के लिए।
13. निदेशक, वित्त (बजट) विभाग।

उप शासन सचिव